न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना।

आदेश

कार्यालय आदेश ज्ञापांक–8706/वि0, दिनांक–21.06.2026 के क्रम में जिले में पड़ रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः मैं, कुन्दन कुमार, जिला दण्डाधिकारी, पटना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–163 के तहत जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री–स्कूल सहित) में वर्ग–08 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 30.06.2026 तक पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगाता हूँ। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे।

उपर्युक्त आदेश दिनांक–**29.06.2026** से **30.06.2026** तक लागू रहेगा।

यह आदेश दिनांक–**28.06.2026** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

(कुन्दन कुमार)
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 9125 /विधि पटना, दिनांक– 28/06/2026

प्रतिलिपि– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सभी अनुमण्डल दण्डाधिकारी, पटना जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला/सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE, PATNA

O R D E R

In continutation to the order vide memo no 8706/legal dated 21.06.2026, it has been made to appear to me that due to prevalent high temperature in the District, health and life of children are at risk. The prevalent heat wave condition still persists.

Therefore, I, Kundan Kumar, District Magistrate, Patna under section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita(BNSS), 2023 do hereby prohibit the academic activities for all the private and government schools (including pre-schools) of the district, up to class-VIII till 30.06.2026. The school authorities are hereby directed to reschedule their timings of academic activities in conformity with the order as mentioned above.

The order as mentioned above will come into force w.e.f. **29.06.2026 and will remain effective till 30.06.2026** in the district.

This order has been issued on 28.06.2026 under my signature and seal of the Court.

(Kundan Kumar.)
District Magistrate,
Patna.

Memo No 9125 /Legal, Patna, Dated 28/06/2026

Copy forwarded to SSP, Patna/All SDMs/ALL BDOs/All SHOs Patna District for information and necessary action.

Copy forwarded to District Education Officer, Patna/District Programme Officer, ICDS, Patna for information and with a direction to ensure compliance of the above said order.

Copy forwarded to District Public Relations Officer, Patna for information and necessary action.

District Magistrate,
Patna.